

कार्यालय

तहसीलदार

स्याना

पत्रांक 433(16)

/आर० के०/मत्स्य पालन आवंटन

दिनांक 11/6/15

## 90 वर्षीय मत्स्य पालन आवंटन की विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील स्याना के ग्राम चिंगरावठी में 10 वर्षीय मत्स्य पालन आवंटन (नीलामी) दिनांक 18.06.2015 को तहसील मुख्यालय स्याना पर निम्न प्रकार आवंटन किया जायेगा।

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	आवंटन की कार्यवाही हेतु नियत तिथि	ग्राम सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1.	जहांगीराबाद	पैमपुर	18-06-2015	51	0.240
2.	बी०बी०नगर	बैनीपुर	18-06-2015	371	1.278
3.	जहांगीराबाद	जाडौल	18-06-2015	921, 935, 928, 930	0.089, 0.531, 0.076, 0.130
4.	स्याना	मही० बुकलाना	18-06-2015	69, 286	1.366, 1.176
5.	बी०बी०नगर	सैदपुर	18-06-2015	446	3.984
6.	स्याना	थल इनायतपुर	18-06-2015	667	1.523
7.	स्याना	वैराफिरोजपुर	18-06-2015	399, 473, 852	0.253, 1.379, 0.423
8.	स्याना	भैंसोडा	18-06-2015	385	1.415
9.	ऊचागांव	धुंधरावती	18-06-2015	693	0.582
10.	स्याना	माकडी	18-06-2015	385	0.468
11.	स्याना	बरौली वासदेवपुर	18-06-2015	176, 233	0.690, 0.367
12.	स्याना	बुगरासी	18-06-2015	32, 34, 36	0.190, 0.202, 0.266

कृपया सभी इच्छुक पात्र व्यक्ति ग्राम चिंगरावठी में दुग्ध डेयरी पर प्रातः 11 बजे उपस्थित

हों।

तहसीलदार  
स्याना

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. भूलेख अधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपजिलाधिकारी महोदय स्याना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. तहसीलदार बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, शिकारपुर, अनूपशहर, डिबाई को आवश्यक कार्यवाही एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. स्थानीय संवाददाता /सम्पादक हिन्दुस्तान , नव भारत टाईम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी को निशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को निशुल्क प्रकाशन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नायव तहसीलदार तहसील स्याना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. नायव नाजिर स्याना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक स्याना को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
11. सम्बन्धित लेखपाल को कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।
12. सम्बन्धित ग्रामों के प्रधानों को आवंटन की कार्यवाही कराने हेतु।
13. ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक बुलन्दशहर को कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।

तहसीलदार  
स्याना